झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची
मध्य विद्यालय बी०एम०पी०-1 डोरण्डा परिसर, राँची-834002
Email - jepranchi@gmail.com

" समग्र शिक्षा "

पत्रांक 513 दिनांक 31/03/2026

प्रेषक,

जिला शिक्षा पदाधिकारी-सह-
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
राँची।

सेवा में,

प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/वार्डेन
CM SCHOOL OF EXCELLENCE GIRLS, BARIATU, RANCHI
CM SCHOOL OF EXCELLENCE , KANKE, RANCHI
TVS CM SCHOOL OF EXCELLENCE , JAGARNATHPUR, RANCHI
ASTVS DISTRICT CM SCHOOL OF EXCELLENCE, RANCHI
KGBV CM SCHOOL OF EXCELLENCE, NAMKUM, RANCHI

विषयः **मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में सत्र 2026-27 के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नामांकन हेतु प्रथम औपबंधिक मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना कि विद्यालय द्वारा दिनांक 15.03.2026 को आयोजित प्रवेश परीक्षा के उपरांत वर्ग 6-9 के लिए वर्गवार उपलब्ध कराये गए प्राप्तांक के आधार पर नामांकन हेतु अनुमोदित प्रथम औपबंधिक मेरिट लिस्ट पूर्व में उपलब्ध करा दिया गया है। विद्यालयवार विवरणी निम्नवत है-

Block	U-DISE Code	Name of School	Class	Total Selected 1st Merit List
Kanke	20140116413	CM SCHOOL OF EXCELLENCE GIRLS, BARIATU, RANCHI	VI	103
			VII	30
			VIII	20
			IX	60
			Total	**213**
Kanke	20140112013	CM SCHOOL OF EXCELLENCE , KANKE, RANCHI	VI	76
			VII	38
			VIII	37
			IX	40
			Total	**191**
Kanke	20140121504	TVS CM SCHOOL OF EXCELLENCE , JAGARNATHPUR, RANCHI	VI	55
			VII	15
			VIII	8
			IX	44
			Total	**122**
Kanke	20140120009	ASTVS DISTRICT CM SCHOOL OF EXCELLENCE, RANCHI	VI	117
			VII	37
			VIII	20
			IX	10
			Total	**184**
Namkum	20140806605	KGBV CM SCHOOL OF EXCELLENCE, NAMKUM, RANCHI	VI	23
			Total	**23**

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, राँची
मध्य विद्यालय बी०एम०पी०–1 डोरण्डा परिसर, राँची–834002
Email - jepranchi@gmail.com

" समग्र शिक्षा "

नामांकन के क्रम में निम्नांकित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय–

- पूर्व में उपलब्ध कराई गई सूची को विद्यालय के वेबसाइट पर 24 घंटे के अंदर अपलोड किया जाय।
- सभी संबंधित अभिभावकों को विद्यालय द्वारा दूरभाष पर संपर्क कर सूचना उपलब्ध कराई जाय।
- प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित छात्र–छात्राओं का नामांकन के लिए यह औपबंधिक सूची है, केवल सूची में नाम होने से उनका अंतिम चयन नहीं माना जाएगा।
- नामांकन हेतु राज्य स्तरीय दिशा–निदेश के आलोक में सभी वांछित दस्तावेज प्राप्त किये जाने हैं।
- सभी अभिभायकों से शपथ पत्र प्राप्त किया जाना है जिसमें उनके द्वारा सत्यापित किया जाएगा कि–
    1. उनके द्वारा घोषित आरक्षण कोटि सत्य है एवं उनके द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।
    2. EWS श्रेणी के संदर्भ में अभिभावक घोषणा करेंगे कि उनकी वार्षिक आय (8 लाख से कम) एवं अन्य परिसंपत्ति नियमानुसार सरकार द्वारा घोषित दिशा–निदेश के अनुसार वे EWS के पात्र हैं तथा उनके द्वारा प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा।
    3. जाँच के क्रम में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विद्यालय को नामांकन रद्द करने का अधिकार होगा, जो उन्हें मान्य होगा।
- सूची में संलग्न छात्र–छात्राओं को व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर 01 सप्ताह के अंदर नामांकन सुनिश्चित करायेंगे।
- प्रथम औपबंधिक मेरिट लिस्ट के अनुसार 10 दिनों तक चयनित अभ्यर्थियों के नामांकन हेतु विद्यालय स्तर से संपर्क किया जाना है। तदुपरांत यह मानते हुए कि संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा नामांकन लेने में अभिरूचि नहीं दर्शाने के कारण प्रतीक्षा सूची से नामांकन लिया जायेगा। जिन विद्यालयों को प्रतीक्षा सूची उपलब्ध करा दी गई है उनके द्वारा जिस कोटि के अभ्यर्थी के द्वारा नामांकन नहीं लिया गया है, उक्त कक्षा तथा कोटि के अभ्यर्थी को नियमानुसार प्रतीक्षा सूची से नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे। शेष विद्यालय प्रतीक्षा सूची उपलब्ध कराने हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को अनुरोध पत्र उपलब्ध करायेंगे। तदनुसार अधोहस्ताक्षरी कार्यालय स्तर से द्वितीय औपबंधिक मेरिट लिस्ट उपलब्ध करायी जायेगी।

निदेश दिया जाता है कि निर्धारित अवधि में नामांकन की प्रक्रिया सुनिश्चित करायेंगे। साथ ही नामांकन उपरांत छात्रवार, वर्गवार, कोटिवार रिक्त सीटों का विवरण भी उपलब्ध करायेंगे।

अनु0 – प्रथम औपबंधिक मेरिट लिस्ट।

विश्वासभाजन

30/3/2026

जिला शिक्षा पदाधिकारी–सह–
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, राँची।

30/3/2026